संख्याः 2532 / VIII / 702–प्रशि0 / 2004

प्रेषक,

श्री दयाल सिंह नाथ,
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रशिक्षण एवं सेवायोजन,
उत्तरांचल, हल्द्वानी ।

श्रम सेवायोजन प्रशिक्षण एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग देहरादून दिनांकः३० दिसम्बर–04

विषयः वित्तीय वर्ष 2004–05 हेतु जनपद हरिद्वार के खानपुर नामक स्थान पर राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या : 7823 / डीटीईयू / लेखा / 0202 / बी0जे0–1 / 2004–05 दिनांक 15,दिसम्बर–2004 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है, कि जनपद हरिद्वार के खानपुर में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना करते हुए, इसके लिए प्रस्तावित तीन व्यवसाय फिटर, कटिंग एण्ड स्वीइंग, तथा विधुतकार हेतु न्यूनतम आवश्यकता के आधार पर मानक के अनुसार कुल 12 अस्थाई पद निम्नलिखित विवरणानुसार शासनादेश निर्गत होने की तिथी अथवा पद की भरे जाने की तिथि, जो भी बाद में हो से 28 फरवरी–2005 तक के लिए बशर्ते की ये पद इसके पूर्व बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त न कर दिये जायें, सृजित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, खानपुर जनपद हरिद्वार हेतु पदों का विवरण :–

क0 सं0	पदों का नाम	स्वीकृत किए जाने वाले पदों की सं0	वेतनमान (रूपये में)
1.	कार्यदेशक श्रेणी–तीन	01	6500–10500
2.	व्यवसाय अनुदेशक	03	5000–8000
3.	अनुदेशकसामाजिक अध्ययन / भाषा	01	5000–8000
4.	अनुदेशक कला / गणित	01	5000–8000
5.	सहायक भण्डारी	01	4000–6000

6.	वरिष्ठ सहायक	01	4000–6000
7.	कनिष्ठ लिपिक	01	3050–4590
8.	कार्यशाला परिचर	01	2550–3200
9.	चपरासीकम चौकीदार	02	2550–3200
	योग :	12	

2– उक्त पद के धारकों को उक्त पद के वेतन के साथ–साथ शासन द्वारा समय समय पर प्रख्यापित आदेशों के अनुसार अनुमन्य महंगाई एवं अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे ।

3– चपरासी कम चौकीदार के पदधारक से ही भण्डार परिचर का भी कार्य लिया जायेगा ।

क्र0सं0	व्यवसाय का नाम	यूनिट	प्रशिक्षण स्थान
1.	फिटर	01	16
2.	कटिंग एण्ड स्वीइंग	01	16
3.	विधुतकार	01	16
	योग :	03	48

4– उक्त संस्थान के अनावर्तक व्ययों एवं अधिष्ठान के खर्चे हेतु निम्नलिखित विवरणानुसार रूपये 33,06,000.00 (रूपये तैंतीस लाख छः हजार मात्र) की धनराशि के व्यय की भी श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :–

बजट–व्यवस्था :– धनराशि हजार रूपये में

मद संख्या	मद का नाम	आवश्यक धनराशि
01	वेतन	50
03	महंगाई भत्ता	15
04	यात्रा भत्ता	05
06	अन्य भत्ते	05
08	कार्यालय व्यय	70
09	विधुत व्यय	50
10	जलकर/जल प्रभार	10
21	छात्रवृत्ति/छात्रवेतन	01

26	मशीनें साज सज्जा / उपकरण	3000
42 48	अन्य व्यय महंगाई वेतन	70 30
	योग :	3306

(रूपये तैंतीस लाख छः हजार मात्र)

26– मशीनें एवं साजसज्जा का मदवार विवरण संलग्न है ।

5. तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों पर यथा सम्भव प्रदेश के छटनीशुदा / सरप्लस कर्मियों से ही भरा जायेगा और यदि ऐसे कर्मी उपलब्ध नहीं होते हैं, तब ही नियमावली की व्यवस्थानुसार भर्ती की जायेगी ।

6. उक्त धनराशि इस प्रतिबन्ध के साथ एवं शर्तो के अधीन आपके निवर्तन पर स्वीकृत की जा रही है, कि उक्त मद में आबंटित सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जाये। यहॉ यह भी स्पष्ट किया जाता है, कि धनराशि का आंबटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नही देता है, जिसे व्यय करने से बजट मैनुअल या वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों का उल्लंघन होता हो। जहॉ व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो, वहॉ ऐसा व्यय सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करके ही किया जायेगा । व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है, मितव्ययता के सम्बन्ध में समय–समय जारी शासनादेशों / अन्य आदेशों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जाये। व्यय उन्हीं मदों में किया जायेगा जिसके लिये यह स्वीकृत किया जा रहा है।

7– व्यय करते समय स्टोर परचेज रूल्स, डीजीएसएण्डडी, की दरों एवं शर्तो, टेन्डर / कोटेशन आदि के विषयक नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा । उपकरणों आदि का क्रय प्रत्येक ट्रेड के एन0सी0वी0टी0 के मानक के अनुसार ही क्रय किया जायेगा ।

8. स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31,मार्च–2005 तक पूर्ण उपयोग कर लिया जायेगा ।

9– उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2004–05 हेतु अनुदान संख्या–16 मुख्य लेखाशीर्षक 2230–श्रम तथा रोजगार 03–प्रशिक्षण,–आयोजनागत,003–दस्तकारों तथा पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण,03–दस्तकार प्रशिक्षण योजना एवं अधिष्ठान्–00 के अर्न्तगत उपरउल्लिखित् प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जायेगा। यह आंबटन निदेशक के अधीन समस्त कार्यालयों के लिए किया जा रहा है ।

10– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या : यूओ / 2191 / वि0अनु0–3 / 2004 दिनांक 28, दिसम्बर–2004 के अन्तर्गत प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे है।

संलग्नक : यथोक्त ।

भवदीय

(दयाल सिंह नाथ)
अपर सचिव।

NIC 947

पृष्ठांकन संख्याः 2532(1)/ VIII/ 702–प्रशि0/ 2004, तद्दिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, उत्तरांचल, देहरादून।
2– सम्बन्धित् जनपद के कोषाधिकारी ।
3– वित्त अनुभाग–3
4– प्रधानाचार्य, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, खानपुर जनपद हरिद्वार।
5– उपनिदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूडकी को इस आशय से प्रेषित कि वे कृपया उक्त सूचना को राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशित कर वांछित प्रतियॉ शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
8. श्री एल0एम0 पंत, अपर सचिव, वित्त बजट, उत्तरांचल शासन ।
9. नियोजन–विभाग, उत्तरांचल शासन ।
10. एन0आई0सी0, सचिवालय ।
8. गार्ड फाइल ।

5/6

आज्ञा से,

(आर0के0 चौहान)
अनुसचिव।

311204006.pdf